गया था क्योंकि उसने अपनी दाढ़ी को नहीं कटाया था और क्या इस कानून के अन्तर्गत किसी और व्यक्ति को भी सेवा बरखास्त किया गया है– यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में किसी मुस्लिम कान्स्टेबल द्वारा दाढ़ी रखे जाने पर प्रतिबन्ध लगाने के लिए कोई संवैधानिक विनियमन नहीं है लेकिन पुलिस ड्रिल मैन्युवल में, सिखों के अलावा अन्य कार्मिकों को बाल छोटे रखने और ठोड़ी को साफ़ रखने की व्यवस्था है । केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की 64वीं बटालियन के कान्स्टेबल श्री एफ. ए. खान ने नियमों का पालन करने के लिए अपने कमान्टेन्ट के आदेश का पालन नहीं किया । इस अवज्ञा के लिए उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 की धारा 11 (1) के तहत उसे सेवा से बरखास्त किया गया । जब यह मामला सरकार के ध्यान में आया तो मार्च, 1989 में केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल और अन्य अर्ध-सैनिक बलों को निदेश जारी किए गए कि, मुस्लिम कार्मिकों को उनके अनुरोध पर, धार्मिक आधार पर दाढ़ी रखने की अनुमति दी जाय । श्री एफ. ए. खान के मामले की इन निदेशों के आधार पर पुनरीक्षा की गयी और केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के महानिदेशक ने श्री खान को बरखास्त करने के लिए उसके कमान्टेन्ट द्वारा जारी किए गए आदेशों को रद्द कर दिया । इस आधार पर केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल के किसी अन्य कार्मिक के खिलाफ़ कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं की गयी ।

आतंकवादियों और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम

1753. डा. अख़रार अहमद खान : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों और शहरों के नाम क्या हैं जहां आतंकवादी और विध्वंसकारी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम लागू किया जा रहा है और इस अधिनियम को कब और किन प्रयोजनों के लिए बनाया गया था ;

(ख) राजस्थान में उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां यह लागू हैं और इस अधिनियम के अधीन गिरफ्तार किये गये हैं तथा उन पर कौन-कौन से आरोप लगाये गये हैं ;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि इस अधिनियम के नाम पर राजस्थान के कोटा और जयपुर शहरों में पुलिस ने निर्दोष लोगों को गिरफ्तार किया है तथा उन्हें तंग किया है और उनसे लाखों रुपये की रिश्वत ली है ;

(घ) क्या इस संबंध में कोई जांच की जा रही है ; और

(ङ) क्या सरकार 25 जून, 1990 का "राजस्थान पत्रिका" (जयपुर संस्करण) में "टी.ए.डी.ए. से बचने के नाम पर हजारों रुपये वसूलने का आरोप' के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार के आलोक में इस मामले की कोई जांच करायेगी ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री सुबोध कांत सहाय) : (क) और (ख) इस अधिनियम का प्रारम्भ में 23 मई, 1985 को अधिनियमन किया गया । इसमें आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों को रोकने तथा उनका सामना करने और उससे संबंधित अथवा प्रासंगिक मामलों को रोकने के लिए विशेष व्यवस्था है । टी. ए. डी. ए., 1987 को पूरे भारत में लागू किया गया है । कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है । अतः अधिनियम के उपबन्धों को राज्य प्राधिकारियों द्वारा लागू किया जाता है । अधिनियम के अन्तर्गत गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों, उन पर लगाए गए आरोपों

तथा उन्हें गिरफ्तार किए जाने के स्थानों के बारे में विस्तृत सूचना इस मंत्रालय में उपलब्ध नहीं है ।

(ग) से (ङ) अपेक्षित सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

Under-Utilisation of STD and ISD systems during Non-Peak hours

1754. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that STD and ISD system is under-utilised at certain non-peak hours in the country;

(b) what steps Government propose to take to grant further concessions at the late hours for STD calls; and

(c) whether Government would consider ways of assisting middle income people to use STD facility through lower rates for non-peak and office hours?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF COMMUNICATIONS (SHRI JANESHWAR MISHRA): (a) Yes, Sir.

(b) Concessions already exist for NSD calls. No further concessions are under consideration.

(c) No further concessions are under consideration. During non-peak hours concessions upto 75 per cent for NSD calls are already available.

Meetings of ICCR

1755. SHRI MENTAY PADMANABHAM: Will the Minister of EXTERNAL AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that various committees of the Indian Council for Cultural Relations have not met for long periods;

(b) the steps being taken to have such meetings to bring about better policies by ICCR;

(c) the names of members of existing committees; and

(d) the reasons for not holding meetings?

THE MINISTER OF STATE OF THE MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS (SHRI HARI KISHORE SINGH): (a) No, Sir. The Main autorities of the Council, as prescribed in the ICCR Constitution, are the General Assembly, the Governing Body and the Finance Committee of the ICCR. During the last financial year 1989-90 and to date, meetings of these authorities have been held in keeping with the prescribed schedule as follows:—

Governing Body	20-4-1989 5-3-1990 & 27-6-1990
General Assembly	1-6-2989 & 27-6-1990
Finance Committee	12-4-1989 & 20-11-1989

(b) Does not arise.

(c) List of members of the General Assembly, governing body and the financial committee are placed on the table of the House. [See Appendix CLV, Annexure No. 55]

(d) Does not arise.

Waiting list of telephones in the Country

1756. SHRI VITHALRAO MADHAVRAO JADHAV:
SHRI PRABHAKAR B. KORE:
SHRI H. HANUMANTHAPPA:

Will the Minister of COMMUNICATIONS be pleased to state:

(a) what is the city-wise present waiting list of telephone connections in the country;